

पत्र सं०-बजट-वाद(01) अनाच्छादित अवधि-मु०व्या०दु०बी०यो०/

625 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 20/11/2020

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) वाणिज्य कर

मुजफ्फरनगर सम्भाग मुजफ्फरनगर, कानपुर सम्भाग-डी कानपुर, आजमगढ़ सम्भाग आजमगढ़, मैनपुरी सम्भाग मैनपुरी, अलीगढ़ सम्भाग-ए अलीगढ़, फैजाबाद सम्भाग-ए फैजाबाद।

कृपया शासन के पत्र संख्या-राज्य कर-4-रिट-148(2)/11-2019-600(1)/19 दिनांक 09-11-2020 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा नीचे उल्लिखित सूची में अंकित वादों, के सम्बन्ध में प्रकरणों में भुगतान किये जाने वाली धनराशि की गणना करते हुए पृथक-पृथक प्रस्ताव उपलब्ध कराये-जाने की अपेक्षा की गयी है :-

क्र०सं०	वाद संख्या	विवरण
1-	4770(एम०बी०)/2020	श्रीमती बॉबी त्यागी बनाम उ०प्र०राज्य सरकार व अन्य
2-	29135(एम०बी०)/2019	श्रीमती कमलेश कटियार बनाम उ०प्र०राज्य सरकार व अन्य
3-	32304(एम०बी०)/2019	श्रीमती गायत्री एलियास बनाम उ०प्र०राज्य सरकार व अन्य
4-	15087(एम०बी०)/2019	श्रीमती निशी गुप्ता बनाम उ०प्र०राज्य सरकार व अन्य
5-	9885(एम०बी०)/2019	श्री संत कुमार मिश्रा बनाम उ०प्र०राज्य सरकार व अन्य
6-	5584(एम०बी०)/2019	श्रीमती दिव्या सिंह बनाम उ०प्र०राज्य सरकार व अन्य

उपरोक्त अंकित वादों में सम्बन्धित दावेदार से बीमा दावा प्रपत्र प्राप्त करते हुए संस्तुति उपरान्त, भुगतान किये जाने वाली राशि की गणना करते हुए प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, परन्तु आपके स्तर से कोई भी सूचना अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः शासन से प्राप्त पत्र के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित दावेदार से बीमा दावा प्रपत्र प्राप्त करते हुए संस्तुति उपरान्त, भुगतान किये जाने वाली राशि की पुनः गणना करते हुए प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक:-यथोपरि

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प० प० सं० व दि० उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-4, उ०प्र०शासन को पत्र संख्या-राज्य कर-4-रिट-148(2)/11-2019-600(1)/19 दिनांक 09-11-2020 के क्रम में सूचनार्थ।
- 2- सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्देश देने का कष्ट करें।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

राज्य कर, अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक 09 नवम्बर, 2020

विषय : रिट याचिका संख्या-15087(एम0बी0)/2019 श्रीमती निशी गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में
आंकिक गणना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-राज्य कर-4-रिट-148 /11-2019-600(1)/19, दिनांक 13 अगस्त, 2020 एवं संख्या-राज्य कर-4-रिट-148(2)/11-2019-600(1)/19, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयगत रिट याचिका संख्या-15087(एम0बी0)/2019 श्रीमती निशी गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य के अतिरिक्त रिट याचिका संख्या- 5584 (एम0बी0)/2019 श्रीमती दिव्या सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में, रिट याचिका संख्या-9885 (एम0बी0)/2019 श्री संत कुमार मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में, रिट याचिका संख्या-29135 (एम0बी0)/2019 श्रीमती कमलेश कटियार बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में तथा रिट याचिका संख्या-4770(एम0बी0)/2020 श्रीमती बॉबी एलियास बॉबी त्यागी बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में याचिकाओं को भी रिट याचिका संख्या-7740(एम0बी0)/2005 श्रीमती क्षमा रानी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य की भांति ही इंशोरेंश क्लेम का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेशों का अनुपालन किये जाने हेतु समस्त प्रकरणों में भुगतान किये जाने वाली धनराशि की गणना करते हुए पृथक-पृथक प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो अभी तक अप्राप्त है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सभी रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेशों का अनुपालन किये जाने हेतु समस्त प्रकरणों में भुगतान किये जाने वाली धनराशि की गणना करते हुए पृथक-पृथक प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त सचिव।

श्री 0000 (लेखा)

*

मिसेस
11.11.2020

श्री राधवेन्द्र/ Dharmy

78/12.11.20

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1824